



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]
No. 70]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1978/माघ 21, 1899
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संश्रीमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1978

का० आ० 88(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक ही पञ्जीमवां संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961, (जिसे इसमें इसके पञ्जाय उक्त नियम कहा गया है) में प्रथम अनुसूची में,—

(क) 1क, 1ख और 1ग प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात्—

“1क. वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय :

(i) वाणिज्य विभाग।

(ii) नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग।”;

(ख) प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात्—

“15 पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय :

(i) पैट्रोलियम विभाग।

(ii) रसायन और उर्वरक विभाग।”;

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “रसायन और उर्वरक मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियाँ हटा दी जायेंगी ;

(ख) शीर्षक “नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा ;

(ग) शीर्षक “वाणिज्य मंत्रालय”, तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

“वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ”
क. वाणिज्य विभाग

I. सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

1. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीति।

2. वाणिज्य नीति से मुख्यतः सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे यू०एन०सी०टी०डी०, ई०सी०ए०एफ०ई०, ई०सी०ए०, ई०सी०आई०ए०, ई०ई०सी०, ई०एफ०टी०ए०, जी०ए०टी०टी०।

3. गेहूँ से संबंधित करारों से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-करार।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से संबंधित अन्य विषय जिनमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध सम्मिलित हैं।

II. विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय जिनमें व्यापार कर्तारों और करार (जिनमें टैरिफ और व्यापार विषयक साधारण करार और राष्ट्रमंडल टैरिफ अधिमान सम्मिलित हैं), व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल, व्यापार महयोग और नवर्धन, और विदेशीय भारतीय व्यापारियों के हितों को संरक्षण सम्मिलित है।
6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं हैं :—
 - (i) कथा चित्रों का आयात;
 - (ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात—तीर्थ और शैव कथा चित्र दोनों; और
 - (iii) चलचित्र (अनुद्भासित) और फिल्म उद्योग द्वारा प्रेषित अन्य वस्तुओं का आयात और निर्यात।
7. मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात।

III. राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार की नीतियां और इस प्रयोजन के लिये स्थापित संगठनों का कार्य, जिनमें ये आते हैं :—
 - (i) राज्य व्यापार निगम और उनकी निम्नलिखित महायुक्त संस्थाएं :—
 - (क) भारतीय काजू निगम;
 - (ख) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम।
 - (ii) खनिज और धातु व्यापार निगम।

शक्नु के साथ व्यापार, शक्नु सम्पत्ति

9. शक्नु के साथ व्यापार, शक्नु फर्मों और शक्नु सम्पत्ति; हाकिम-पूति (जर्मन औद्योगिक उपकरण के मिश्र), शक्नु-व्यापार नियंत्रक, शक्नु फर्म नियंत्रक; भारत के लिये शक्नु सम्पत्ति-अभिरक्षक।
10. टैरिफ आयोग [टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50)] उद्योगों को टैरिफ संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क टैरिफ-ब्यूरो।
11. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माणों और अर्ध-निर्माणों, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, से संबंधित निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार :
 - (क) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और अंकन) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज;
 - (ख) समुद्री उत्पाद;
 - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, कौमिकल, प्लास्टिक, धमड़ा उत्पाद, आदि);
 - (घ) इंधन, खनिज और खनिज उत्पाद;
 - (ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातानुसूच उत्पाद (जिनमें बागान उपज आदि तो आते हैं लेकिन पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते) जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के आरसाधन में हैं;
 - (च) वस्त्र, ऊनी वस्त्र, हथकरघा वस्त्र, रेसामी और सेसुलोसी तंतु, पटसन और पटसन उत्पाद, और हस्तशिल्प।
12. वे सभी संगठन और संस्थाएं जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—
 - (क) निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम।
 - (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद्।
 - (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महाविदेशालय।
 - (घ) प्रदर्शनी और वाणिज्य प्रचार निदेशालय।
 - (ङ) निःशुल्क व्यापार जोन।

13. निर्यात उद्यम के लिये प्रोत्साहक और सहायक परियोजनाएं और कार्यक्रम।
14. बागान उपज, चाय, काफी, रबड़, और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में अन्तः और निर्यात के लिये) और विकास।
15. (i) भारतीय चाय व्यापार निगम।
 - (ii) चाये बोर्ड।
 - (iii) काफी बोर्ड।
 - (iv) रबड़ बोर्ड।
 - (v) इलायची बोर्ड।
 - (vi) हस्तशिल्प और हथकरघा-वस्त्र निर्यात निगम।

ख नागरिक शक्ति और सहकारिता विभाग

I. आन्तरिक व्यापार

1. आन्तरिक व्यापार।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, स्पिरिट-युक्त निर्मितियां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955।
3. अयादा बाजार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952]।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रवाह, कीमते और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं हैं)।

II. व्यापार चिह्न आदि

5. व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958।
6. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950।
7. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक अधिनियम, 1956—बाट और माप मानक अधिनियम, 1976)।
8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संरक्षण या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिनमें फारवर्ड मार्केट्स कमिशन, बम्बई भी सम्मिलित हैं।

III. सहकारिता

9. सभी सेक्टरों में सहकारिता और सहकारी क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में साधारण नीति (संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है)।
10. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले।
11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
12. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।
13. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कामियों का प्रशिक्षण (जिनमें सर्वस्यो, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।
14. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं।
15. लोक वितरण प्रणाली।
16. कीमती का परिबीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।
17. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।
18. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन।
19. कानूनी माप-विध्या में प्रशिक्षण।
20. भारतीय मानक मस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952।
21. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक

- बे वनस्पति धी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से सम्बद्ध है।
22. वनस्पति धी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य-नियंत्रण, पूर्ति और वितरण।
23. वनस्पति धी, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय।” ;
- (घ) शीर्षक “पेट्रोलियम मंत्रालय”, और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्—

“पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय”

क. पेट्रोलियम विभाग

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय, वितरण और कीमते।
- भारत में तेल के साधनों के लिए खोज और उनका शोषण, जिसके अन्तर्गत भागभाही परियोजनाओं, उदाहरणार्थ इंजो-स्टैनवैक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, प्रायस इंडिया लिमिटेड आदि की स्थापना भी है।
- भारत में तेल परिष्करणियों की स्थापना।
- निम्नलिखित द्वारा परिष्करणी उत्पादों का उत्पादन :—
 - स्टेन्डर्ड बैकुअम रिफाइनरी कम्पनी, बम्बई ;
 - बर्मिगेल रिफाइनरी, बम्बई ;
 - कालटेक्स रिफाइनरी, विशाखापत्तनम ; तथा
 - असम प्रायस कम्पनी लिमिटेड, दिगबोई।
- स्नेहक तेल संयंत्रों की स्थापना।
- पेट्रो-रसायन।
- सेलुलोसरहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, टेगीलीन, पोलिये-स्टर, पॉक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग।
- संश्लिष्ट रबड़।
- प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की हली हुई वस्तुएं शामिल हैं।
- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम-उत्पादों के विज्ञान के लिए वितरक संगठन की स्थापना।
- विभाग द्वारा व्ययहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता।
- इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, ऐसी परियोजनाओं के निश्चय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट-प्राबंदिता हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएँ। ;

ख. रसायन और उर्वरक विभाग

- उर्वरक।
- औषधियाँ तथा अन्य सूक्ष्म रसायन।
- कास्टिक सोडा और सोडा ऐश।
- कलोरीन।
- सल्फ्यूरिक एसिड।
- कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रणालन के अतिरिक्त)।
- ऐंटीबायोटिक्स।
- पावस ऐल्कोहॉल।
- पेय ऐल्कोहॉल।

- ऊष्मा उपचार लवण।
- रंजक द्रव्य।
- कार्बनिक और अकार्बनिक भारी रसायन।
- प्रकीर्ण रसायन, अर्थात् वे रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनि-दिष्टतया प्राबंदिता नहीं किए गए हैं।
- विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का आयोजन, विकास और नियंत्रण तथा उन्हें सहायता।
- इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।
- पायराइट्स, फासफेट्स एंड केमिकल्स लि०।
- इस सूची में सम्मिलित विषयों के अंतर्गत आने वाली अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, जिनमें वे परियोजनाएँ नहीं हैं जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया प्राबंदिता की गई हैं।”।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/78-सी० एफ०]

बादल गय, संयुक्त मन्त्र

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 1978

S.O. 88(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

- (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-fifth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule,—

- for entries 1A, 1B and 1C the following entry shall be substituted, namely :—

“1A. Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Vanijya, Nagrik Poorti aur Sahkarita Mantralaya) :

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Civil Supplies and Cooperation (Nagrik Poorti aur Sahkarita Vibhag).”;

- for entry 15, the following entry shall be substituted, namely :—

“15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya) :

(i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).

(ii) Department of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Vibhag).”;

3. In the Second Schedule to the said rules,—

- the heading “MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted ;

- the heading “MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted ;

- for the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)” and the entries

thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)”

A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)

I. General International Trade Policy

1. International Commercial Policy.
2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International commodity Agreements other than agreements relating to Wheat.
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreements on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion, and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—

- (i) import of feature films ;
- (ii) export of Indian films—both feature length and shorts; and
- (iii) import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry.

7. Chief Controller of Imports and Exports.

III. State Trading

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including :

- (i) State Trading Corporation and its following subsidiaries :—
 - (a) Cashew Corporation of India ;
 - (b) Projects & Equipment Corporation of India.
- (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

IV. Trading with the enemy, enemy property

9. Trading with the enemy, enemy firms and enemy property ; reparations (other than German industrial equipment) ; Controller of Enemy Trading ; Controller of Enemy firms ; Custodian of Enemy Property for India.

10. Tariff Commission [The Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951)], Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufacturers including the following :

- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937;
- (b) marine products ;
- (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.) ;
- (d) fuels, minerals and mineral products ;
- (e) specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department.
- (f) textiles, woollens, handlooms, readymade garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products, and handicrafts.

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :

- (a) Export Credit and Guarantee Corporation.
- (b) Export Inspection Council.
- (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
- (d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity.
- (e) Free Trade-Zones.

13. Projects and Programmes for stimulating and assisting the export efforts.

14. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

15. (i) Tea Trading Corporation of India.

- (ii) Tea Board
- (iii) Coffee Board.
- (iv) Rubber Board.
- (v) Cardamom Board.
- (vi) Handicrafts and Handlooms Export Corporation.

B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA VIBHAG)

I. Internal Trade

1. Internal Trade.
2. Inter-State Trade ; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.
3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].
4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

II. Trade Marks etc.

5. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
6. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
7. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

III. Co-operation

9. General policy in the field of Co-operation and co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in their respective fields).

10. Matters relating to National Co-operative Organisations.
11. National Co-operative Development Corporation.
12. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.
13. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).
14. Consumer Co-operatives.
15. Public Distribution System.
16. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
17. The National Consumer Protection Council.

18. Regulation of packaged commodities.
19. Training in legal Metrology.
20. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.
21. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
22. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
23. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.”;

(d) for the heading “MINISTRY OF PETROLEUM (PETROLEUM MANTRALAYA)”, and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA).”

A. DEPARTMENT OF PETROLEUM
(PETROLEUM VIBHAG)

1. Production, supply, distribution and prices of petroleum and petroleum products.
2. Exploration for and exploitation of oil resources in India including the setting up of participatory projects e.g. Indo-Stanvac Petroleum Project, Oil India Ltd., etc.
3. Setting up of Oil Refineries in India.
4. Production of refinery products by—
 - (i) Standard Vacuum Refinery Company, Bombay;
 - (ii) Burmah-Shell Refinery, Bombay;
 - (iii) Caltex Refinery, Visakhapatnam, and
 - (iv) Assam Oil Company Ltd., Digboi.
5. Setting up of lubricating oil plants.
6. Petrochemicals.
7. Industries relating to the production of Non-Cellulosic Synthetic Fibres (Nylon, Terylene, Polyester, Acrylic, etc.).
8. Synthetic Rubber.
9. Plastics, including fabrication of plastics and plastic moulded goods.

10. Setting up of a distribution organisation for the sale of petroleum and petroleum products.

11. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

12. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.;

B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(RASAYAN AUR URVARAK VIBHAG)

1. Fertilizers.
2. Drugs and other fine chemicals.
3. Caustic Soda and Soda Ash.
4. Chlorine.
5. Sulphuric Acid.
6. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968).
7. Antibiotics.
8. Power Alcohol.
9. Potable Alcohol.
10. Heat Treatment Salts.
11. Dye-stuffs.
12. Organic and Inorganic Heavy Chemicals.
13. Miscellaneous Chemicals i.e. Chemicals not specifically allocated to any other Department.
14. Planning, Development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
15. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
16. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.
17. Other Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.”.

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/2/1/78-CF]

B. ROY, Jt. Secy.

